



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 23, 2019/अग्रहायण 2, 1941

No. 688]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 23, 2019/AGRAHAYANA 2, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 873(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

उद्घोषणा

मैं, राम नाथ कोविन्द, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेरे द्वारा 12 नवम्बर, 2019 को उक्त अनुच्छेद के अधीन महाराष्ट्र राज्य के संबंध में जारी उद्घोषणा का 23 नवम्बर, 2019 से प्रतिसंहरण करता हूँ।

नई दिल्ली,

23 नवम्बर, 2019

राम नाथ कोविन्द,

राष्ट्रपति

[फा. सं. वी/11013/1/2019-सीएसआर-1]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd November, 2019

G.S.R. 873(E).—The following Proclamation issued by the President of India is published for General information:—

PROCLAMATION

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 356 of the Constitution, I, Ram Nath Kovind, President of India hereby revoke the Proclamation issued by me under the said article on the 12th day of November, 2019, in relation to the State of Maharashtra with effect from the 23rd day of November, 2019.

New Delhi,

The 23rd November, 2019

RAM NATH KOVIND,

President

[F. No. V/11013/1/2019-CSR-I]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.